# न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal. No.-01/2017–18

उत्तम मंडल
बनाम
गोकुल साहा वगैरह

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 25.01.2023 | **आदेश**<br><br>यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता उत्तम मंडल, पिता–स्व0 साधीन मंडल, सा0–सुन्दरपुर, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–21/2012–13 में दिनांक–17.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) गोकुल साहा, पिता–धनकिस्टो साहा, सा0–तारापुर, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ (2) पिन्टू मंडल, पिता–स्व0 गोखन मंडल, सा0–तारापुर (3) गोपाल साहा, पिता–स्व0 मधु साहा, सा0–सुन्दरपुर, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।<br><br>मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के रिविजनकर्त्ता उत्तम मंडल द्वारा हिरणपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–हाथकाठी नं0–12 के जमाबंदी सं0–42 के दाग सं0–729 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00–08–00 धुर जमीन से (1) गोकुल साहा (इस वाद के उत्तरवादी सं0–01) (2) सुशील पंडित, पिता–स्व0 सुना पंडित एवं (3) पिन्टू मंडल, पिता–स्व0 बिखल मंडल को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। जिसके आधार पर आर0ई0आर0 वाद सं0–21/2012–13 संस्थित कर निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् दिनांक–17.12.2016 को पारित आदेश द्वारा उच्छेदी हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया गया। यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।<br><br>उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक से सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि रिविजनकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में SPT Act 1949 की धारा 20(5) एवं 42 के तहत प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। प्रश्नगत जमाबंदी सं0–42 विगत सर्वे खतियान में नयन मंडल के नाम से दर्ज है एवं रिविजनकर्त्ता खतियानी रैयत के पौत्र है। खतियानी रैयत नयन मंडल के पौत्र मधुसुदन मंडल को दाग सं0–729 की भूमि बटवारे में प्राप्त नहीं हुई थी। रिविजनकर्त्ता द्वारा सब जज–I पाकुड़ के न्यायालय में Title (Partition) | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |

Suit no-13/2001 दायर किया गया था, जिसके आदेश एवं डिक्री सीट की प्रति दाखिल की गई है। अंचल अधिकारी, हिरणपुर का जॉच प्रतिवेदन रिविजनकर्त्ता के पक्ष में है। मौजा हाथकाठी एक अविकयशील मौजा है। अंचल अधिकारी के रिपोर्ट में ये प्रतिवेदित किया गया है कि दाग सं0–729 में गोकुल साहा द्वारा 00–01–14¾ धुर तथा पिन्टू मंडल द्वारा 00–01–19 धुर जमीन पर दखल किया गया है। गोकुल साहा एवं पिन्टू मंडल का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। SPT Act 1949 की धारा 20(5) एवं 42 इस मामले में लागू होता है। SPT Act 1949 की धारा 64 के तहत धारा 42 के अन्तर्गत आवेदन की कोई समयसीमा नहीं है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में नयन मंडल के नाम से दर्ज है। नयन मंडल के चार पुत्र हुए जिसमें से केवल श्याम चन्द्र मंडल के दो पुत्र चामु मंडल एवं दुलु मंडल हुए। रिविजनकर्त्ता दूलू मंडल के पौत्र है। चामु मंडल के पुत्र मधुसुदन मंडल है एवं मधुसुदन के पुत्र गोपाल मंडल (उत्तरवादी सं0–03) है। खतियानी रैयत के पुत्रों के बीच मौखिक बंटवारा हुआ और वे अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखल करने लगे। बाद में दुलू मंडल एवं मधुसुदन मंडल के बीच वर्ष 1987 में निबंधित बंटननामा सं0–2526 दिनांक–11.05.1987 द्वारा सम्पत्ति का बंटवारा हुआ, जिसमें प्रश्नगत दाग सं0–729 अन्तर्गत रकवा 01–19–19 धुर जमीन के साथ अन्य दागो की भूमि मधुसुदन मंडल को बंटवारे में प्राप्त हुआ। उक्त निबंधित बटननामा को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। SPT Act 1949 की धारा 20(5) अनुसूचित जनजाति की भूमि पर लागू होती है। प्रश्नगत मामले में प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति की नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी सं0–01 एवं 02 का घर बना हुआ है एवं यहॉ वे बसोबास कर रहें है। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा पारित न्याय निर्णय जो JLJR 2003 Vol-3 Page 223 में दर्ज है तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय बिहार के CWJC no-1970/1975 (विश्वनाथ धीरला बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित न्याय निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि एक बार घर बन जाने के बाद भूमि का किस्म बसौड़ी हो जाता है एवं इसपर धारा 42 प्रभावी नहीं होती है। उनका आगे कहना है कि अपील आवेदन काल बाधित है एवं Limitation Act के तहत समय क्षान्त हेतु अलग से कोई आवेदन नहीं दिया गया है।

Scanned with CamScanner

| ...की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

प्रश्नगत भूमि नियंधित बंटननामा से मधुसुदन मंडल को बंटवारे में प्राप्त हुई है, अतः अब इसपर रिविजनकर्त्ता का दावा किया जाना उचित नहीं है।

ऊारवादी सं0–03 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी यह कहा गया कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता मधुसुदन मंडल को नियंधित बंटवारे में प्राप्त हुई है तथा ऊारवादी सं0–01 एवं 02 को उनके द्वारा बसोबास हेतु भूमि दिया गया है। रिविजनकर्त्ता का इसमें कोई हक एवं अधिकार नही है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं0–42 के खतियानी रैयत नयन मंडल है। नयन मंडल के पुत्र श्याम चन्द्र मंडल एवं गोविन्द मंडल है। श्याम चन्द्र मंडल के दो पुत्र चामू मंडल एवं दुलू मंडल है। ऊारवादी सं0–03 गोपाल साहा, चामू मंडल के पौत्र है, जबकि रिविजनकर्त्ता दुलू मंडल के पौत्र है। ऊारवादी द्वारा दाखिल कागजात से यह ज्ञात होता है कि दूलू मंडल एवं उनके भाई चामू मंडल के पुत्र मधुसुदन मंडल के बीच सम्पत्ति का बंटवारा हुआ था। निबंधित बंटननामा सं0–2526 दिनांक–11.05.1987 के माध्यम से दाग सं0–729 अन्तर्गत भूमि मधुसुदन मंडल को प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में बंटननामा के दूसरे पक्ष दुलू मंडल के पौत्र के द्वारा दाग सं0–729 की भूमि पर दावा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उक्त निबंधित बंटननामा को सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य भी अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल नही किया गया है। जहॉ तक Title Partition Suit 13/2001 का प्रश्न है, अपीलकर्त्ता द्वारा संपूर्ण आदेश की प्रति दाखिल नहीं किया गया है। डिकी सीट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह Priliminary Order है, तथा उक्त वाद में Pleader/Amin Commissinoner नियुक्त किया गया है। परन्तु अंतिम रूप से बंटवारा एवं Execution संबंधी कोई आदेश दाखिल नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा केवल उक्त Title Suit का उल्लेख मात्र किया गया है। Title Suit के माध्यम से उक्त भूमि अपीलकर्त्ता को प्राप्त हुई है, के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज दाखिल नही किया गया है। निबंधित बंटननामा के आधार पर ऊारवादी सं0–03 के पिता को प्राप्त भूमि पर अपीलकर्त्ता द्वारा दावा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई तर्कसंगत ठोस कारण नहीं है।

18. Sri Karali Kinkar Mishra
19. Sri Dhananjay Mondal
20. Prakash Ranjan Mishra
21. Sri Jagat Narayan Upadhaya
22. Sri Bijoy Kr. Jaiswal
23. Sri Subodh Kr. Dafadar
24. Zafar Nayeem
25. Sri Harinarayan Das
43. Md. Wamique Hasan Khan
44. Md. Sabiruddin
45. Asraful Haque
46. Sri Ambuj Kr. Verma
47. Md. Abdur Rashid
48. Prakash Kr. Mishra
49. Sunil Kr. Sinha
50. Samarendra Narayan Mondal
68. Sri Ajit Kr. Rabidas
69. Sardar Dharmendra Singh
70. Sri Dibendu Kr. Mondal
71. Sri Mohinimohan Tiwary
72. Sri ShivRatan Saha
73. Sri Surendra Pd. Saha
74. Sri Niranjan Kr. Mishra
75. Nukumuddi Sk.
93. Sumitra Rani Singh
94. Sri Sukharnoy Mondal
95. Sri Haridas Murmu
96. Kuldip Chandra Saha
97. Md. Tahseen Faruque
98. Sri Anand Upadhaya
99. Md. Sakeel Ahamed
100. Sri Devanand Mishra

Scanned with CamScanner

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।<br>उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>उपायुक्त, पाकुड़।<br>उपायुक्त, पाकुड़। |

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:07:49 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned with CamScanner